उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-15/2015/189/92-1-2015-01आरईएस/2003,

लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2015

नियुक्ति/विज्ञप्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2008 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में सहायक अभियन्ता (समूह 'ख') के पद पर वेतनमान रू0-8000-13500 (संशोधित वेतन संरचना में पे बैन्ड-3 सादृश्य वेतन बैन्ड/वेतनमान रू0-15600-39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0-5400) में कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जो नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है) पर रखे जाने तथा उन्हें स्तम्भ-6 में अंकित स्थान में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

सिविल संवर्ग

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	स्नातक उपाधि	गृह जनपद	नियुक्ति/तैनाती का जनपद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	श्री अरूण कुमार वर्मा	सहायक अभियन्ता	सिविल अभियंत्रण	गोरखपुर	प्रखण्ड-मैनपुरी
2	श्री नूर आलम	सहायक अभियन्ता	सिविल अभियंत्रण	वाराणसी	प्रखण्ड-बस्ती
3	श्री विनोद कुमार	सहायक अभियन्ता	सिविल अभियंत्रण	रामपुर	प्रखण्ड-बदायूं
4	श्री रजनीश कुमार	सहायक अभियन्ता	सिविल अभियंत्रण	इलाहाबाद	प्रखण्ड-हमीरपुर
	विद्युत संवर्ग				
5	श्री सत्येन्द्र कुमार यादव	सहायक अभियन्ता	विद्युत अभियंत्रण	सीतापुर	प्रखण्ड-सम्भल

2. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 (3) के अन्तर्गत अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण सहित घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- सम्बन्धित अभ्यर्थी कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-29 के अन्तर्गत इस आशय का घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे कि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ नहीं हैं।

5- सम्बन्धित अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण कर लें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

6- सम्बन्धित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अलग से निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उनका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

8- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2015/189(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र संख्या-78(2)/01/ई-3/ 2009-10, दिनांक 09-05-2014, पत्र संख्या-78(6)/01/ई-3/2009-10, दिनांक 09-05-2014, पत्र संख्या-78(7)/01/ई-3/2009-10, दिनांक 09-05-2014,पत्र संख्या-79(7)/01/ई-3/2009-10, दिनांक 17-06-2014 एवं पत्र संख्या-79(8)/01/ई-3/2009-10, दिनांक 17-06-2014के क्रम में। (रजिस्टर्ड)
3- कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
9- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ। **(रजिस्टर्ड)**
12- श्री अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री वृन्दाप्रसाद वर्मा, म0न0-431एम महाबीरपुरम, पो0-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर (उ0प्र0) 273015 **(रजिस्टर्ड)**
13- श्री नूर आलम पुत्र श्री मु0मुल्तान अहमद म0नं0-4/895 वारीगढही, रामनगर, जिला-वाराणसी (उ0प्र0) 221008 **(रजिस्टर्ड)**
14- श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मोती सिंह, ग्राम-मुवाना पोस्ट-ददियाल जिला-रामपुर (उ0प्र0) **(रजिस्टर्ड)**
15- श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मोती सिंह, लेखा विभाग, चीनी मिल बाजपुर, जिला-ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) 262401 **(रजिस्टर्ड)**
16- श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री फौजदार, सी-65, जी0टी0बी0 नगर करैली, जिला-इलाहाबाद **(रजिस्टर्ड)**
17- श्री सत्येन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री सुरेश प्रकाश, ग्राम-कल्हापुर, पो0-प्योला, जनपद-सीतापुर (उ0प्र0) 261207 **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

h